उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972)

THE UTTAR PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) ADHINIYAM, 1972

(U.P. Act No. 19 of 1972)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1979

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 05, 1980

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 अप्रैल, 1972 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में दिनांक 14 अप्रैल, 1972 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

[भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 24 अप्रैल, 1972 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25 अप्रैल, 1972 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

तेंदू पत्तों का, लोक–हित में, क्रय तथा वितरण करने में राज्य एकाधिकार स्थापित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है,–

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

[2][(3) यह इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी और वाराणसी जिलों में 2 मार्च, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, और उत्तर प्रदेश के शेष भाग में ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।]

परिभाषायें

2–जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) किसी इकाई के संबंध में ''अभिकर्त्ता'' का तात्पर्य उस इकाई के संबंध में धारा 4 के अधीन नियुक्त अभिकर्त्ता से हैं।

(ख) ''इकाई'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित इकाई से है;

(ग) ''खातेदार'' का तात्पर्य किसी भूमिधर, सीरदार, असामी, सरकारी पट्टेदार या अन्य सरकारी अनुदान–ग्रहीता से है;

(घ) ''तेंदू पत्ता उत्पादक'' का तात्पर्य, ऐसी भूमि पर उगाये गये तेंदू पत्तों के सम्बन्ध में जो तत्समय–

(1) राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो अथवा इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित हो, राज्य सरकार से है; **ऐक्ट संख्या 16, 1927**

1. उद्देश्य और कारणों में विवरण के लिये कृपया दिनांक 5 अप्रैल, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित तथा सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय।

(2) किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो, ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से है;

(3) किसी खातेदार द्वारा धृत हों, ऐसे खातेदार से है;

(4) राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त गांव सभा, स्थानीय प्राधिकरण या खातेदार की ओर से किसी भोग–बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार द्वारा धृत हो, यथा स्थिति, ऐसे भोग बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार से है;

(5) विधि द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी रिसीवर की अभिरक्षा में हो, ऐसे रिसीवर से है;

(6) किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा धृत हो, ऐसे व्यक्ति से है।

(ङ) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में ''नियत दिनांक'' का तात्पर्य उस दिनांक से है जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो;

[1][(च) ''वर्ष'' का तात्पर्य 1 जनवरी को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से है;]

(छ) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ज) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उन्हें दिये गये हों। **ऐक्ट संख्या 16, 1927**

इकाइयों का संघटन

3–राज्य सरकार किसी क्षेत्र की उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकती है, जितनी वह उचित समझे।

अभिकर्ताओं की नियुक्ति

4–(1) राज्य सरकार, अपनी ओर से, तेंदू पत्तों का क्रय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ, विभिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में अभिकर्ता नियुक्त कर सकती है और कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाई के सम्बन्ध में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) ऐसी नियुक्ति को शर्तें तथा प्रतिबन्ध और तत्सम्बन्धी प्रक्रिया वह होंगी, जो विहित की जाय ।

तेंदू पत्तों के विक्रय, क्रय तथा परिवहन पर निर्बन्धन

[2]**[5]**–(1) नियत दिनांक को तथा उसके पश्चात् –

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उस इकाई, जिसमे पत्ते उगे हों, से सम्बन्धित किसी अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति को तेंदू के पत्तों का विक्रय नहीं करेगा;

(ख) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति से तेंदू पत्तों का क्रय नहीं करेगा, और न किसी ऐसी भूमि, जिसका वह स्वामी या खातेदार न हो, पर उगाये गये तेंदू पत्तों का संग्रह करेगा;

(ग) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति तेंदू पत्तों का परिवहन निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, नहीं करेगा, अर्थात्:––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित तथा सदैव से प्रतिस्थापित समझे जाय।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 4 द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के रूप में पुर्नसंख्याकित किया गया और सदैव से पुर्नसंख्याकित किया गया समझा जाय।

(1) यदि वह, तेंदू पत्ता उत्पादक होने की दशा में, इकाई के भीतर, जहाँ ऐसे पत्ते उगे हों, किसी स्थान से पत्तों का परिवहन उसी इकाई में किसी अन्य स्थान के लिये करे; अथवा

(2) यदि वह पत्तों का परिवहन उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता की ओर से करे; अथवा

(3) यदि उसने उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से पत्तों का क्रय या तो उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ियां बनाने के लिये अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर पत्तों का विक्रय करने के लिये किया हो, और वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाय, तदर्थ जारी किये गये अनुज्ञापत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार उक्त इकाई के बाहर उनका परिवहन करे।

[1][(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अधिकारी, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय––

(क) किसी व्यक्ति को, जिसने वर्ष 1971 में अथवा उसके पूर्व तेंदू पत्ता क्रय किया हो,.––

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट राज्य सरकार या अधिकारी अथवा अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे पत्तों की बिक्री करने की अनुज्ञा दे सकता है और ऐसी सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता, से भिन्न किसी व्यक्ति को उक्त पत्ता क्रय करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(2) ऐसे पत्तों को उत्तर प्रदेश के भीतर किसी स्थान को परिवहन करने या उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (3) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ी बनाने के लिये प्रयोग करने में अथवा, जैसी भी दशा हो, उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात करने में असमर्थ रहा हो; या

(ग) किसी व्यक्ति को जिसने उत्तर प्रदेश के बाहर तेंदू पत्ता क्रय किया हो, उन्हें या तो राज्य के भीतर बीड़ी बनाने के लिये अथवा राज्य में होकर उत्तर प्रदेश के बाहर अन्यत्र ले जाने के लिये, राज्य में लाने की अनुज्ञा दे सकता है, या

(घ) किसी व्यक्ति को जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर, किन्तु ऐसे क्षेत्र के बाहर जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, तेंदू पत्ता क्रय किया हो, बीड़ी बनाने के लिये किसी क्षेत्र में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, उनका परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है।

[2][(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया है, तेंदू पत्ते के प्रति मानक थैले पर तीन रुपये की दर से, विहित रीति से, कर का देनदार होगा।]

[3][**5–क**–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 16 के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या उनके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार के तेंदू पत्ता बेचा हो या

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 4 द्वारा बढ़ायी गयी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1980 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1979 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

जिसके साथ तेंदू पत्ता बेचने का अनुबन्ध किया हो, राज्य सरकार की ओर से सीधे तेंदू पत्ता उत्पादक से ऐसे उत्पादकों को उसके मूल्य का भुगतान करने पर उसका संग्रह करने का अनुज्ञा–पत्र देकर विहित रीति से प्राधिकृत कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट अनुज्ञा–पत्र में बेची गयी अनुमानित मात्रा, तेंदू पत्ता उत्पादक का नाम, ऐसे उत्पादक को भुगतान करने के लिये अपेक्षित धनराशि और ऐसे अन्य व्यौरे जो विहित किये जाय, विनिर्दिष्ट होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन के लिये जो विहित किया जाय, अभिकर्ता समझा जायगा, किन्तु वह तेंदू पत्ता के संग्रह के लिए कमीशन के रूप में या अन्य प्रकार से कोई धनराशि पाने का हकदार नहीं होगा।][1]

परामर्श समिति का संघटन

6–(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे एक आयुक्त के डिवीजन के लिये, जहां तेंदू पत्ते उगते हों, एक परामर्श समिति प्रत्येक वर्ष के लिये संघटित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगेः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों में एक–तिहाई से अनधिक सदस्य तेंदू पत्ता उत्पादकों में से होंगे।

(2) प्रत्येक डिवीजन की परामर्श समिति, राज्य सरकार को, समय–समय पर उस डिवीजन में विक्रय के लिये प्रस्तुत तेंदू पत्तों के राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में, तथा ऐसे अन्य विषयों पर भी जो राज्य सरकार द्वारा उसे अभिदिष्ट किये जायें, परामर्श देगी ।

(3) समिति की कार्यवाही का संचालन ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित की जाय।

राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण

7–(1) राज्य सरकार अन्य तथ्यों के साथ–साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऐसा मूल्य निर्धारित करेगी, जिस पर वर्ष के दौरान डिवीजन की प्रत्येक इकाई में उसके द्वारा या उसके लिए [2][X X X] तेंदू पत्तों का क्रय किया जायगा, अर्थातः–

(क) किसी इकाई के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में इस अधिनियम के अधीन तेंदू पत्तों का निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो;

(ख) इकाई में उगाये गये पत्तों की किस्म;

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें;

(घ) परिवहन व्यय; तथा

(ङ) अनिपुण श्रमिक के लिये मजदूरी का इकाई में प्रचलित सामान्य दर।

(2) इस प्रकार निर्धारित मूल्य [3] [X X X] ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, प्रकाशित किया जायेगा और उस वर्ष के दौरान जिसके सम्बन्ध में वह हो, [4][उसमें कमी नहीं की जायगी]

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन मूल्य निर्धारित किये जाने के पूर्व, धारा 6 के अधीन परामर्श समिति संघटित हो गयी हो तो राज्य सरकार ऐसा मूल्य निर्धारण करने से पूर्व परामर्श समिति से, जहां व्यवहार्य हो, परामर्श करेगी।

राज्य सरकार विक्रय हेतु प्रस्तुत समस्त तेंदू पत्तों का क्रय करेगी

8–(1) राज्य सरकार समस्त तेंदू पत्ते, जो उसे या उसके लिये विक्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा तदर्थ स्थापित किसी डिपो पर सामान्य कार्य–समय में प्रस्तुत किये जायें, धारा 7 के अधीन निर्धारित मूल्य पर क्रय करने के लिये बाध्य होगी ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1979 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 5 द्वारा निकाले गये तथा सदैव से निकाले गये समझे जायं।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1973 की धारा 2 द्वारा निकाले गये तथा सदैव से निकाले गये समझे जायं।
4. उपर्युक्त की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझे जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी या अभिकर्ता, जैसी भी दशा हो, को ऐसे तेंदू पत्तों को क्रय करने से इंकार करने का अधिकार होगा जो उसकी राय में बीड़ी बनाने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त न हों।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसके पत्तों को अस्वीकार करने के कारण क्षुब्ध हो, उससे पंद्रह दिन के भीतर और विहित रीति से प्रभागीय वन अधिकारी, या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाय, परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर, सम्बद्ध अधिकारी उसकी संसदीय रूप से जांच करेगा और ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे, और उस दशा में जब उसे पत्तों को लेने से इंकार करना अनुचित प्रतीत हो, तो वह–

(क) यदि उसे प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये उस समय तक उपयुक्त प्रतीत हों, तो यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उन्हें क्रय करने का निदेश देगा, और क्षुब्ध व्यक्ति के हक में ऐसा प्रतिकर दिये जाने का निदेश देगा जो पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे वह उचित समझे; अथवा;

(ख) यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये अब अनुपयुक्त हो चुके हैं, तो यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को क्षुब्ध व्यक्ति के हक में कोई ऐसी धनराशि का, जो उपधारा (1) के अधीन ऐसे पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बराबर हो, और ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर जिसे वह ऐसे व्यक्ति को हुई हानि के लिए क्षतिस्वरूप देना उचित समझे, और जो ऐसे मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, देने का निदेश देगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रयार्थ प्रस्तुत कोई तेंदू पत्ते, राज्य सरकार में निहित और उसके द्वारा धृत भूमि पर या आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित भूमि पर उगाये गये हैं, तो ऐसे पत्ते, किसी मूल्य का भुगतान किये बिना, और केवल ऐसे संग्रहण व्यय का भुगतान करके, यदि कोई हो, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करे, हस्तगत किये जा सकते हैं।

(5) उपधारा (4) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(6) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

उत्पादकों इत्यादि का रजिस्ट्रीकरण

9–(1) राज्य सरकार या किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न प्रत्येक तेंदू पत्ता उत्पादक, यदि किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों की मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक हो जाने की संभावना हो, जो विहित की जाय, विहित रीति से अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

बीड़ियों के निर्माता तथा तेंदू पत्तों के निर्यातकर्ता का रजिस्ट्रीकरण

(2) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता तथा तेंदू पत्ते का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस का भुगतान करके और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

10–(1) राज्य सरकार द्वारा या उसके लिये क्रय किये गये पत्तों का विक्रय या उनका अन्य प्रकार से निस्तारण ऐसी रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे। **तेंदू पत्तों का निस्तारण**

(2) ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार या कोई गांव सभा अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, और यदि किसी ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न तेंदू पत्तों जिनके किसी एक भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार उत्पादक हो और दूसरे भाग के सम्बन्ध में गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, को सरकार बेचती हो अथवा बिकवाती हो तो ऐसी बिक्री की शुद्ध आय का राज्य सरकार और ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच प्रभाजन, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा।

11–राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य ऐसे किसी अधिकारी को, जिसका पद सहायक अरण्यपाल के पद से कम न हो, प्रतिनिहित कर सकती है, जो उसका प्रयोग या सम्पादन, ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में निर्दिष्ट करे, रहते हुए करेगा। **शक्तियों का प्रतिनिधान**

12–(1) कोई पुलिस अधिकारी, जिसका पद उप–निरीक्षक के पद से कम न हो या कोई भी वन अधिकारी इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबंधों का अनुपालन किया गया है– **प्रवेश करने, तलाशी लेने, अभिग्रहण करने आदि के अधिकार**

(1) किसी ऐसे व्यक्ति, नौका गाड़ी या पात्र को जिसे तेंदू पत्तों का परिवहन करने में प्रयुक्त किया गया हो या जो प्रयोग करने के लिये अभिप्रेत हो, रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(2) किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

(3) ऐसे तेंदू पत्तों को जिनके सम्बन्ध में उसे सन्देह हो कि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित, जिसमें ऐसे पत्ते हो, या ऐसी गाड़ी या नौकाओं के साथ जो पत्तों को लाने में प्रयुक्त की गयी हों, अभिगृहीत कर सकता है।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथासंभव इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे। **1898 का अधिनियम 5**

13–यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने वन अपराध किया है, और तेंदू पत्ता, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में उक्त अपराध किया गया है, ऐसा अपराध किये जाने के सम्बन्ध में, वन उपज समझी जायगी, और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट एक्ट, 1927 के अध्याय 9 के उपबन्ध, (धारा 69 को छोड़कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कारों के साथ लागू होंगे। **शास्ति**

14–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा : **कम्पनी द्वारा अपराध**

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के उत्तरदायी होंगे।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का संज्ञान

15–किसी ऐसे वन अधिकारी द्वारा जिसका पद प्रभागीय वन अधिकारी के पद से कम न हो अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत करे, उन तथ्यों के संबंध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दिये गये लिखित प्रतिवेदन के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अधिनियम के उपबन्धों का अभिभावी प्रभाव होगा

16–इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि अथवा किसी संविदा या अन्य संलेख में दी गयी उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य के संबंध में बचाव

17–(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिये अभिप्रेत हो, किसी ऐसी हानि के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो अथवा किसी ऐसी क्षति के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

18–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए [1][गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना रुकती है]

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात–

(क) अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 6(1) द्वारा प्रतिस्थापित तथा सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाय।

(ख) तेंदू पत्तों की मूल्य–सूची का प्रकाशन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति;

[1][(घ) प्राधिकारी जिसके द्वारा रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिन पर धारा 5 के अधीन अनुज्ञा–पत्र जारी किये जा सकते हैं और रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन कर का भुगतान किया जायेगा या उसे वसूल किया जायेगा;];

(ङ) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा, तथा उसकी उपधारा (2) के अधीन देय फीस;

(च) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

[2][(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर बनाया गया कोई भी नियम ऐसे दिनांक से जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले का न हो, भूतलक्षी रूप में बनाया जा सकता है।]

संक्रमणकालीन उपबन्ध

19–यदि 1 जुलाई, 1971 और 24 फरवरी, 1972 के बीच किसी समय तेंदू पत्तों के किसी उत्पादक ने किसी व्यापारी के साथ ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री के लिए, जो उसके द्वारा वर्ष 1972 में उगाये जाने हों, कोई संविदा की हो और ऐसे संविदा के अन्तर्गत व्यापारी से ऐसे पत्तों के, जो व्यापारी को दिए जाने हों, मूल्य की ओर कोई अग्रिम धनराशि ले ली हो तो, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी संविदा धारा 5 और 16 के उपबन्धों के कारण नियत दिनांक को शून्य हो गयी हो, उक्त उत्पादक और व्यापारी ऐसी अग्रिम धनराशि का व्योरा देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष संयुक्त आवेदन–पत्र दे सकते हैं, और तदोपरान्त उक्त अधिकारी यथाविधि यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन–पत्र उत्पादक द्वारा स्वेच्छा से दिया गया है, धारा 8 में अभिदिष्ट अधिकारी या अभिकर्ता को उत्पादक की ओर से व्यापारी को, धारा 8 के अधीन विक्रीत पत्तों के लिये उत्पादक को देय मूल्य में से, ऐसी धनराशि जो बिना किसी ब्याज या प्रतिकर के कुल अदत्त अग्रिम धनराशि से अधिक न होगी, देने का निदेश दे सकता है, और राज्य सरकार या अभिकर्ता, उत्पादक के प्रति, और उत्पादक, व्यापारी के प्रति, ऐसे भुगतान की सीमा तक दायित्व से उन्मुक्त हो जायेंगे, और उत्पादक ऐसी अग्रिम धनराशि के संबंध में किसी ब्याज या प्रतिकर का देनदार न होगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1980 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 6(3) द्वारा बढ़ाई गयी।

वैधीकरण

20–राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1972 के गजट में प्रकाशित सूचना संख्या 1942/14–2–72, दिनांक 29 मार्च, 1972 जिसके द्वारा इकाइयों के लिए अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्ति के लिये प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सूचना संख्या 1861/14–2–72, दिनांक 22 मार्च, 1972 जिसके द्वारा राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या अभिकर्ताओं द्वारा संग्रह किए गए अथवा संग्रह किये जाने के लिये संभावित तेंदू पत्तों के क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों से निविदाओं को आमंत्रित किया गया, तथा उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसरण में की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य उसी प्रकार वैध समझा जायगा व सदैव से वैध रहा समझा जायगा मानों कि राज्य सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन बनाये गये तथा गजट दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित नियम दिनांक 17 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हो गये थे ।

निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, 1972

[1] [**21**–(1) उतर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार–विनियमन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।]

[2] [(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1973 की धारा 7 द्वारा धारा 21 की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।